

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 773/ 2019

राजेश कुमार पुत्र चुन्नीराम जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला
श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

- 1 चुन्नीराम पुत्र रिछपाल जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर
जिला श्रीगंगानगर
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

- 1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादी)
- 2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
- 3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय

दिनांक :- 19.11.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत 88,188,92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 38/35 प.न. 56/176 मु.न. 40 कि.न. 25 में 0.253 है. नहरी मय खाला, प.न. 57/176 मु.न. 41 कि.न. 21 में 0.253 है.नहरी, प.न. 57/177 मु.न. 43 कि.न. 1,2, 9, ता 12, 19 ता 22 में 2.530 हे. नहरी मय गै.मु. प.न. 56/177 मु.न. 44 कि.न. 2 ता 10, 12 ता 19, 23 ता 25 में 5.060 है. नहरी मय खाला, प.न. 56/178 मु.न. 47 कि.न. 4 ता 7, में 1.012 है. नहरी मय खाला, प.न. 57/178 मु.न. 48 कि.न. 1,2,9,10 में 1.012 है. नहरी मय खाला कुल खाता 10.120 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम 0.276 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 124/116 प.न. 55/176 मु.न. 39 कि.न. 25 में 0.253 है. नहरी मय खाला, प.न. 56/176 मु.न. 40 कि.न. 16 ता 18, 21 ता 24 में 1.771 है. नहरी मय खाला, प.न. 56/177 मु.न. 44 कि.न. 1 में 0.253 हे. नहरी मय खाला, प.न. 55/177 मु.न. 45 कि.न. 5 में 0.253 है. नहरी, कुल खाता 2.530 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.068 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 99/98 प.न. 55/177 मु.न. 45 कि.न. 21 में 0.253 है. नहरी मय गै.मु. रासता, प.न. 55/178 मु.न. 46 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 20 में 2.277 है. नहरी, प.न. 56/179 मु.न. 51 कि.न. 1, 2 में 0.506 है. नहरी मय खाला, प.न. 55/179 मु.न. 52 कि.न. 6, 11 ता 14, 18, 19, 23 में 2.024 है. नहरी कुल खाता 5.060 है. नहरी मय गै.मु. रासता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.497 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 7/103 प.न. 58/172 मु.न. 19 कि.न. 6, 14 ता 17, 24, 25 में 1.771 है. नहरी, प.न. 58/173 मु.न. 20 कि.न. 3 ता 5 में 0.759 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.590 है. आराजी दर्ज



E. Singh
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का खोलायत पुत्र है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को 12.03.1991 को बरोबरू गवाहान जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद लिया था एव वादी को उक्त दिनांक से ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज सम्पत्ति में कानूनन हक अधिकार अर्जित हो गये थे। एव पक्षकारान हिन्दू है एव हिन्दू विधि के मिलाभरा स्कूल से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान का सहदायिकी सम्पत्ति में कानूनन हक हिस्सा बनता है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुयी है एव वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होने के नाते प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में कानूनन हक व हिस्सा रखता है। प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी कीमृत्यु दिनांक 23.12.2001 को होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्य 1 ने दूसरी शादि कर ली थी एव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दूसरी शादि के पश्चात वादी के साथ काफी नाराज रहने लग गया था एव वादी के साथ अक्सर लड़ाई झगडा करने लग गयाथा जिस पर बिरादरी की पंचायत हुयी एव बिरादरी की पंचायत में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 0.276 है. + 0.068 है. + 0.497 है. + 0.590 है. - 1.431 है. आराजी में से 1/2 हिस्सा यानि 0.715 है. आराजी प्राप्त हुयी है। जिस पर वादी मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार काबिज होकर काशत करता आ रहा है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का खोलायत पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 1 के गोद जाने के रोज से ही वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज विरासतन भूमि में कानूनन हक व हिस्सा बनता है जिसे प्राप्त करने का वादी कानूनन हक अधिकारी है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादी को पारिवारिक बंटवारानुसार प्राप्त आराजी वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को प्रतिवादीगण के द्वारा बेदखल किये जाने का अदेशा सदैव लगा रहता है . एव वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होने के नाते प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में कानूनन हक व हिस्सा रखता है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा एव कब्जा काशत की आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा-वगैरा।

लिहाजा वाद वादी मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 38/35 में दर्ज कुल खाता 10.120 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.276 है. आराजी एवं चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 124/116 में दर्ज कुल खाता 2.530 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.068 है. आराजी एवं चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 99/98 में दर्ज कुल खाता 5.060 है. नहरी मय गै.मु. रासता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.497 है. आराजी एवं चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 7/103 में दर्ज कुल खाता 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रासता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.590 है. आराजी सभी खातों की कुल 0.276 है. + 0.068 है. + 0.497 है. + 0.590 है. - 1.431 है. आराजी में से वादी को 1/2 हिस्सा यानि 0.715 है. आराजी का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। व प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मान तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर वादी के वाद



Handwritten signature and text at the bottom right of the page, including the name 'E. J. J.' and some illegible text.

पत्र के समर्थन में राजीनामा पेश कर बाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ, राज्यहित को ध्यान में रखते हुये बाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा बाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव बाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी प्रतिवादी संख्या 1 का खोलायत पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी विरासतन भूमि है जिसमें वादी 1/2 हिस्सा आराजी की मांग कर रहा है। वादी के बाद पत्र के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है एव वादी की कब्जा काशत को स्वीकार किया है, एव दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि चक 32 एम जे डी 'बी' खाता संख्या 7/103 में सेग्रीग्रेशन के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के नामदर्ज आराजी को कम करते हुये 0.063 है। आराजी किया गया है जिसकी घोषणा वादी के नाम से की जावे, वादी की कब्जा काशत के सम्बध में कोई विरोध नहीं है एव वादाधीन आराजी सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादी ने अपने हक हिस्सा की घोषणा चाही है। इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, राजीनामा व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 38/35 में दर्ज कुल खाता 10.120 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.276 है. आराजी में से वादी को 0.138 है. आराजी का एवं चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 124/116 में दर्ज कुल खाता 2.530 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.068 है. आराजी में से वादी को 0.034 है. आराजी का एवं चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 99/98 में दर्ज कुल खाता 5.060 है. नहरी मय गै.मु. रासता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.497 है. आराजी में से वादी को 0.248 है. आराजी का एवं चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 7/103 में दर्ज कुल खाता 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रासता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.063 है. आराजी का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही उक्त खातों में कुल 0.138 है. +0.034 है. +0.248 है. +0.063 है. = 0.483 है. आराजी का वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 773/ 2019

राजेश कुमार पुत्र चुन्नीराम जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला
श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

- 1 चुन्नीराम पुत्र रिछपाल जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर
जिला श्रीगंगानगर
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:- चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्बत 2070-2073 खाता संख्या 38/35 में दर्ज कुल खाता 10.120 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.276 है. आराजी में से वादी को 0.138 है. आराजी का एवं चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्बत 2070-2073 खाता संख्या 124/116 में दर्ज कुल खाता 2.530 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.068 है. आराजी में से वादी को 0.034 है. आराजी का एवं चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्बत 2070-2073 खाता संख्या 99/98 में दर्ज कुल खाता 5.060 है. नहरी मय गै.मु. रासता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.497 है. आराजी में से वादी को 0.248 है. आराजी का एवं चक 32 एम जे डी 'बी' जमाबदी सम्बत 2070-2073 खाता संख्या 7/103 में दर्ज कुल खाता 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रासता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.063 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही उक्त खातों में कुल 0.138 है. +0.034 है. +0.248 है. +0.063 है. - 0.483 है. आराजी का वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.11.19 को जारी किया गया।



हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

